राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(225)एमई / ग्रुप–1 / 2013 जयपुर, दिनांक : 13 JUL 2018

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.6.2017 के द्वारा डॉ. राधिका विजय, वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर को एम.डी. फार्माकोलोजी उच्च अध्ययन करने हेतु कार्यग्रहण तिथि से 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश व उसकी निरन्तरता में एक वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था। डॉ. राधिका विजय ने दिनांक 03.6.2017 को मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में पी.जी. कोर्स (एम.डी. फार्माकोलोजी) ज्वाइन किया। डॉ. विजय द्वारा अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान स्वयं की शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 04.01.2018 से 14.01.2018 तक कुल 11 दिवस के अवैतनिक अवकाश का उपभोग किया गया है।

अतः डॉ. राधिका विजय द्वारा दिनांक 04.01.2018 से 14.01.2018 तक कुल 11 दिवस के उपभोग किये गये अवैतनिक अवकाश के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम के नियम 113 व 114 के प्रावधान के तहत डॉ. विजय के अध्ययन अवकाश की अवधि में 11 दिवस की एतद्द्वारा अभिवृद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को उनके पत्रांक RNT/Estt-I/PF/2018/465 दिनांक 27.3.2018के सन्दर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
4. डॉ. राधिका विजय, वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर हाल पी.जी. कोर्स अध्ययनरत मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव